रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249954
CG-DL-E-08112023-249954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4640] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945
No. 4640] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4840(अ).—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों अथवा सब्सिडी की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की प्रदायगी प्रक्रियाएं आसान होती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और लाभार्थियों को उनके हक सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सीधे प्राप्त होते हैं और आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिए कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निराकरण करता है।

और जबकि, भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (यहां इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (यहां इसके पश्चात योजना कहा गया है) की केंद्रीय प्रायोजित योजना संचालित कर रहा है।

और जबकि, इस योजना का व्यापक उद्देश्य फसल बुवाई पूर्व और फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ किसान के प्रयासों को मजबूत करके खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना; स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं की योजना तैयार और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, राज्यों को स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना; अतिरिक्त आय सृजन के लिए गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना और कृषि-व्यवसाय उद्यमशीलता और नवाचारों को बढ़ावा देना है।

और जबकि, उपरोक्त योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों में भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है।

इसलिए, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का संख्यांक 18) (यहां इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, मंत्रालय इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को एतदद्वारा अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

(1) व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण करवाना या आधार पास होने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(2) जिस व्यक्ति के पास आधार नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार, राज्य सरकार में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जिन्हें अब तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि आसपास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तहसील या तालुका में कोई आधार नामांकन केंद्र मौजूद नहीं है, तो संबंधित विभाग को यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है:

प्रदान किया जाता है कि जब तक आधार व्यक्ति को नहीं सौंपा जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत के अधीन दिया जाएगा, अर्थात्:-

(i) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की एक प्रति;

(iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या

(iv) उसका मतदाता पहचान पत्र; या

(v) किसान फोटो पासबुक; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड; या

(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; और

(viii) संलग्न प्रारूप में यह वचन देना कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कोई लाभ नहीं ले रहा है:

आगे प्रदान किया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

2. योजना का लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए कृषि या बागवानी विभाग या क्षेत्रीय कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि मित्र और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां, निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगी, अर्थात्: -

(1) कृषि या बागवानी विभाग या किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की शाखाओं के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के माध्यम से व्यापक प्रचार आवेदकों या किसानों को दिया जाएगा ताकि उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें किसी

ब्लॉक या तहसील या तालुका के निकटतम नामांकन केंद्रों पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी, और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी;

(2) यदि ब्लॉक या तहसील या तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी नामांकन करने में सक्षम नहीं हैं, तो राज्यों में कृषि या बागवानी विभागों को सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं बनाने की आवश्यकता है और उनसे उनके वेब पोर्टल पर उनके नाम और अन्य विवरण, जैसे राशन कार्ड नंबर, पता, मोबाइल नंबर देकर नामांकन करने हेतु पंजीकरण करने का अनुरोध किया जा सकता है और ऐसे अनुरोध क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पंजीकृत किए जा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 3-37/2016-आर.के.वी.वाई.]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2023

S.O. 4840(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administrating the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Krishi Vikas Yojana (hereinafter referred to the Scheme) implemented by the State Governments.

And whereas, the broad objectives of the scheme are to make farming a remunerative economic activity through strengthening the farmer's effort with major focus on creation of pre & post-harvest infrastructure; to provide autonomy and flexibility to States to plan and execute schemes as per local needs; to mitigate risk of farmers with focus on activities for additional income generation and promote agri-business entrepreneurship and innovations.

And whereas, the benefits offered under the aforesaid Scheme involves expenditure from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted delivery of Financial and other Subsidies, benefits and services) Act, 2016 (18 to 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Ministry hereby notifies the following conditions for availing the benefits under the Scheme, namely: -

(1) the individual is required to undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar;

(2) the individual who does not possess the Aadhaar or, has not yet enrolled for Aadhaar, is required to make an application for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Government through its Implementing Agencies is required to arrange or offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the concerned Department is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely: -

(i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment;

(iii) Bank passbook with photograph; or

(iv) his/her voter Identity card; or

(v) Kisan Photo Passbook; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or

(vii) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988); and

(viii) undertaking in the attached format that he or she is not availing any benefit under some other scheme of the Government of India or any State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by officers specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to increase the number of farmers availing benefits of the Scheme the Agriculture or Horticulture Department or the field offices, the Krishi Vigyan Kendras, Krishi Mitra and other Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely: -

(1) wide publicity through media and individual notice through branches of all the field offices of the Agriculture or Horticulture Department or any other Implementing Agencies shall be given to applicants or farmers to make them aware of the requirement of Aadhaar to avail the benefits under the Scheme and may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres within a Block or Tehsil or Taluka, and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them;

(2) in case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture Departments in the States are required to create enrolment facilities at convenient locations and they may be requested to register for enrolment by giving their names and other details, such as, ration card number, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered at the field offices.

3. This notification shall come into force in all the States / Union territories on the date of its publication in the Official Gazette except the States of Assam, Meghalaya and Union territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.

[F. No. 3-37/2016-RKVY]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (RKVY)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.08 21:23:38 +05'30'